न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

वाद संख्याः–54/22

त्रिलोकचन्द पुत्र रावताराम आयु 60 वर्ष जाति जांगिड निवासी बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. लालचन्द पुत्र रावताराम आयु 52 वर्ष जाति जांगिड निवासी बीदासर जिला चूरू
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र रावताराम आयु 58 वर्ष जाति जांगिड निवासी बीदासर जिला चूरू
3. नानूराम पुत्र रावताराम आयु 44 वर्ष जाति जांगिड निवासी बीदासर जिला चूरू
4. तेजपाल पुत्र रावताराम आयु 40 वर्ष जाति जांगिड निवासी बीदासर जिला चूरू
5. गुलाबी पुत्री रावताराम आयु 62 वर्ष जाति जांगिड निवासी बीदासर जिला चूरू
6. केलू पुत्री रावताराम आयु 38 वर्ष जाति जांगिड निवासी बीदासर जिला चूरू
7. रूकमणी पुत्री रावताराम आयु 42 वर्ष जाति जांगिड निवासी बीदासर जिला चूरू
8. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक, रेकार्ड संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा डिग्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वकील वादी
2. श्री दिनदयाल प्रजापत एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 7

–: निर्णय :–

दिनांकः–18.08.2022

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी के पिता रावताराम पुत्र पांचुराम के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 114, 115, 119 तादादी क्रमशः 2.8328, 12.0899, 3.0351 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 17.9578 हेक्टेयर भूमि वाके रोही घंटियाल बडी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी के पिता रावताराम का 1/4 हिस्सा है तथा खेत खसरा संख्या 825/1775 तादादी 7.2591 हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम हरिनगर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी के पिता रावताराम का 1/4 हिस्सा है जिसे आगे वाद में वादगत भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। वादी के पिता रावताराम पुत्र पांचुराम जाति जांगिड निवासी बीदासर का स्वर्गवास हो चुका है। वादी की माता मूलीदेवी का भी स्वर्गवास हो चुका है। रावताराम पुत्र पांचुराम के जायज वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है। वादगत भूमि पर आज दिनांक को कब्जा काश्त वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का ही है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 अपने पिता

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर।

Scanned by CamScanner

रावताराम के स्वर्गवास से लगातार वादगत भूमि को काश्त कर रहे है। वादी ने रावताराम पुत्र पांचुराम के नाम की वादगत हिस्सा भूमि का विरास्तन नामान्तरण करने का कई बार हल्का पटवारी से निवेदन किया। लेकिन आज दिनांक तक हल्का पटवारी ने कब्जे के अभाव का हवाला देकर विरास्तन नामान्तरण दर्ज नहीं किया है। वादी रावताराम पुत्र पांचुराम का जायज वारिस है तथा वादगत भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादी वादगत भूमि में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है। वादगत भूमि में वादी का नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी हो रही है। वादगत खेतों का वर्तमान राजस्व रेकार्ड वादी के मुकाबले गलत एवं शुन्य है। घोषित किया जावे कि वादगत भूमि खेत वादी के खातेदारी अधिकार के है। जिनमें वादी 1/8 हिस्सा भूमि का खातेदार कृषक है। वादी को वादगत भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादगत भूमि पर पहले वादी के पिता रावताराम पुत्र पांचुराम का कब्जा काश्त था। वादगत भूमि पर रावताराम पुत्र पांचुराम के जीवनकाल से वादी का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी है। वादगत भूमि रोही ग्राम घंटियाल बडी व हरिनगर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। वादी अपने व्यापार के सिलसिले में प्रायः बीदासर से बाहर रहता है। वादगत भूमि पर भूमाफियों की नजर है तथा भूमाफिया वादगत भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है। वादी को वादगत भूमि पर भूमाफिया द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने की धमकियां दी जा रही है तथा वादगत भूमि अपने नाम करवाने की धमकियां दी जा रही है। इस कारण वादी वादगत भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है। यदि भूमाफिया लोग इस गलत कृत्य में सफल हो गये तो वादी को वादगत भूमि से महरूम होना पडेगा। जिससे वादी को अपूर्तीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ती किसी भी सुरत में पूर्ण नहीं हो पायेगी। इस कारण वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर भूमाफिया लोगों को वर्जित करावें कि वादगत खेतों के किसी हिस्से या अंश पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल नहीं करे ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें। ओर ना ही वादी को फसल लाटने में किसी प्रकार की बाधायें आदि पैदा स्वंय करें या किसी अन्य से करायें। वादी वादगत खेतों का खातेदार कृषक होने तथा वादगत खेत वादी के पुस्तेनी, कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के होने से वादी को वादाधार वाद प्राप्त है तथा भूमाफिया लोगों द्वारा ऐलानियां धमकियां देने से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। घोषणात्मक वाद में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है। राजस्थान सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव वादी को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए वादी द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। वाद वादी घोषणात्मक एवं चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

का है। वादगत खेत रोही ग्राम घंटियाल बडी व हरिनगर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इस कारण इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने इकबाल जवाब पेश किया है। दावा में किसी प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का विरोध नहीं करने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी ने वाद के समर्थन में वादगत भूमि की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां पेश की है जिससे साबित होता है कि वादगत भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की पुस्तेनी भूमि है। वादी ने साक्ष्य वादी में अपना शपथ पत्र पेश किया है जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी ने वादगत भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करने की मांग की है। वादी की पहचान मनोज गोदारा एडवोकेट व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की पहचान दिनदयाल एडवोकेट ने की है।

बहस वकुलान की सुनी गई। वकुलान ने दावा को डिक्री करने का निवेदन किया। वकुलान की बहस व दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर सिद्ध होता है कि वादगत भूमि पक्षकारों की पुस्तैनी भूमि है।

पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रकरण हाजा में वादी की ओर से जाहिर किया गया कि वादगत भूमि वादी की पुस्तेनी भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक का 1/32 हिस्सा नियत है। इस कारण पक्षकारों को वादगत भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में उनका नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर पक्षकारों का वाद डिक्री योग्य होने से स्वीकार कर इस प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि खसरा संख्या 114, 115, 119 तादादी 2.8328, 12.0899, 3.0351 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 17.9578 हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम घंटियाल बडी के राजस्व रेकार्ड में खातेदार रावताराम पुत्र पांचुराम जाति जांगिड निवासी बीदासर हिस्सा 1/4 के स्थान पर व खेत खसरा संख्या 825/1775 तादादी 7.2591 हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम हरिनगर के राजस्व रेकार्ड में खातेदार रावताराम पुत्र पांचाराम जाति जांगिड निवासी हरीनगर हिस्सा 1/4 के स्थान पर त्रिलोकचन्द, लालचन्द, लक्ष्मीनारायण, नानूराम, तेजपाल, गुलाबी, केलू, रूकमणी पिता रावताराम जाति जांगिड निवासी बीदासर को ब.हि.ब. खातेदार घोषित किया जाकर इनका नाम खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकार स्वंय वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

त्रिलोकचन्द बनाम लालचन्द आदि

दावा घोषणात्मक, रेकार्ड संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा बाबत।

मुकदमा न.– 54/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु........हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री दिनदयाल प्रजापत वकील वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि खसरा संख्या 114, 115, 119 तादादी 2.8328, 12.0899, 3.0351 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 17.9578 हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम घंटियाल बडी के राजस्व रेकार्ड में खातेदार रावताराम पुत्र पांचुराम जाति जांगिड निवासी बीदासर हिस्सा 1/4 के स्थान पर व खेत खसरा संख्या 825/1775 तादादी 7.2591 हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम हरिनगर के राजस्व रेकार्ड में खातेदार रावताराम पुत्र पांचाराम जाति जांगिड निवासी हरीनगर हिस्सा 1/4 के स्थान पर त्रिलोकचन्द, लालचन्द, लक्ष्मीनारायण, नानूराम, तेजपाल, गुलाबी, केलू, रुकमणी पिता रावताराम जाति जांगिड निवासी बीदासर को ब.हि.ब. खातेदार घोषित किया जाकर इनका नाम खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकार स्वंय वहन करें। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

चीज.................मुबलिग...................बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह.........................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक....................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.08.2022

मुहर (उपखण्ड अधिकारी बीदासर)

दस्तखत .... उपखण्ड अधिकारी बीदासर

ओहदा ....

मुद्दईलाई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमि नर		
फीस कमि नर			बाबत इजराय हुक्मन		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

उपखण्ड अधिकारी बीदासर

Scanned by CamScanner